

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्द्रिया भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

सहायक महा प्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ—२२६०१०।

विषय:—सेटेलाइट टाउन योजना के पिलखुवा नगर की सीवरेज परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक: ०५ जनवरी, 2015

महोदय,

सेटेलाइट टाउन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या—५८४९ / नौ—५—१४—८६बजट / २०१२, दिनांक २९ अक्टूबर, २०१४ के कम में कार्यालय आदेश सं० पी०एम०य० / १०६९ / से.टा.यो./१२-१५ दिनांक ०५.११.१४ द्वारा पिलखुवा नगर की सीवरेज परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ ३६८.७५ लाख को UIDSST नोडल खाता संख्या—4483000100014355 से संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसटी योजना खाता में जमा कराने हेतु विवरण निम्न हैः—

क्र. सं.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	पिलखुवा	सीवरेज	३७०५०००१०१०६०६९०	Pilkhuwa	३६८.७५	—	—	३६८.७५
		योग						३६८.७५

(₹ तीन सौ अड्डसठ लाख पच्चहत्तर हजार मात्र)

२— कृपया उपरोक्तानुसार धनराशि अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.के.सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- सचिव, नगर विकास अनुभाग—५, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- जिलाधिकारी हापुड।
- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- टीम लीडर, पी०एम०य०, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित योजना हेतु प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)।